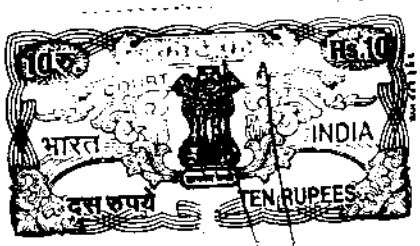

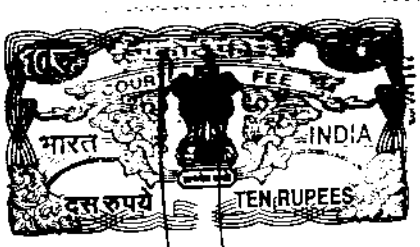

## समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प भोपाल

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2014

सैयद साजिद अली, आयु लगभग 42 वर्ष
आत्मज सैयद आसिफ अली
निवासी - ग्राम धानाकलाँ, तहसील बाड़ी
जिला रायसेन ................आवेदक

विरूद्ध

E1374-PBR/14

नारायण सिंह आत्मज मंगलसिंह
निवासी - ग्राम भीमपुर कंजई,
तहसील बाड़ी, जिला रायसेन ...........अनावेदक

श्री अतुल धारीवाल अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 22-4-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत
[signature]
22-4-14

**पुनर्विलोकन अंतर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.3.2014 अंतर्गत निगरानी प्रकरण क्रमांक 3947-दो/2012 पारित द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय श्री स्वदीप सिंह, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर पक्षकारगण नारायण सिंह विरूद्ध सैयद साजिद अली**

सैयद साजिद अली / नारायण सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 1374–पीबीआर / 14 जिला रायसेन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 15–5–2014 | आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :–<br>1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या<br>2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या<br>3 कोई अन्य पर्याप्त कारण<br>2 आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन | |

रिव्यू 1374-PBR/15 रायसेन

का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष